कवंर दुर्गा चन्द राजकीय महाविद्यालय जैसिंहपुर, जिला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश के छात्र निधि लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 6.2.2007 से 31.3.2014

1 प्रस्तावनाः—

(क) प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या EDN-A-Kha (7) 6/2006 दिनाँक 6.2.07 के अन्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा कंवर दुर्गा चन्द स्मारक महाविद्यालय जैसिंहपुर का अधिग्रहण कर दिया गया।

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः—

क्र0सं0	पैरा सं0	विवरण	राशि लाखों में
1	9	फर्नीचर की मुरम्मत करवाने पर व्यय करने से सम्बन्धित अनियमितताऐं	0.17
2	10	स्थाई प्रकृति के सामान की खरीद करने तथा उनको स्थापित करने पर मिश्रित निधि से अनियमित भुगतान करना तथा स्थाई प्रकृति के सामान को सम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किए बिना ही अनियमित रूप से खारिज करना	0.23

2 वर्तमान अंकेक्षणः—

महाविद्यालय के अवधि 6.2.07 से 31.3.14 के छात्र निधि लेखों का वर्तमान एवं प्रथम अंकेक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिये गये है, श्री अशोक कुमार सूद, सहायक नियन्त्रक द्वारा दिनाँक 4.6.2014 से 16.7.2014 के दौरान जैसिंहपुर में सम्पन्न किया गया। विस्तृत जाँच हेतु निम्नलिखित माह का चयन किया गया।

आयः— माह 8/2007, 6/2008, 12/2009, 12/2010, 6/2011, 6/2012 व 6/2013

व्ययः— माह 3/2008, 12/2008, 6/2009, 6/2010, 11/2011, 2/2013 व 8/2013

अंकेक्षणाधीन अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा महाविद्यालय में प्रधानाचार्य/आहरण एवं वितरण अधिकारी के रूप में अपनी सेवाऐं प्रदान की गईः—

अवधि	विवरण
6.2.2007 से 4.11.2007	अवधि में पुरानी निजी महाविद्यालय के समय में कार्य कर रही प्रबन्धक समिति द्वारा ही सेवाऐं प्रदान की गई
5.11.2007 से 16.7.2008	श्री नरोत्तम दास डडवाल, प्रधानाचार्य राजकीय महाविद्यालय, थुरल द्वारा अतिरिक्त कार्यभार के रूप में अपनी सेवाऐं प्रदान की
17.7.08 से 20.9.12	श्री प्रकाश चन्द वर्मा
20.9.12 से 28.2.13	श्री कुलदीप कुमार बंटा
14.3.2013 से 25.3.13	श्री ओम चन्द
26.3.13 से लगातार	श्री प्रकाश चन्द वर्मा

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन को महाविद्यालय प्रधानाचार्य द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं/अभिलेख के अनुसार तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उक्त संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जो उपलब्ध नहीं करवाई गई है, के लिए जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता है।

3 अंकेक्षण शुल्कः—

महाविद्यालय की वार्षिक वसूलियों/प्राप्तियों के आधार पर महाविद्यालय के छात्र निधि लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹49000/— बनता है परन्तु सहायक नियन्त्रक लेखा परीक्षा द्वारा गलती से अंकेक्षण शुल्क की ₹56000/— आँकी गई तथा इस राशि को राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु इसे निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा, हिमाचल प्रदेश शिमला—9 को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम शिमला भेजने हेतु सहायक नियन्त्रक ले0प0 की अंकेक्षण अधियाचना संख्या 61 दिनाँक 11.7.2014 द्वारा अनुरोध भी किया गया। तदानुसार प्रधानाचार्य द्वारा भी काँगड़ा सैन्ट्रल कोपरेटिव बैंक के ड्राफ्ट संख्या 928781 दिनाँक 15.7.2014 द्वारा अंकेक्षण शुल्क उक्त ₹56000/— को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश के भेज दिया। इस प्रकार अंकेक्षण शुल्क के रूप में ₹7000/— ज्यादा वसूल कर ली गई जिसे आगामी अंकेक्षण के दौरान समायोजित कर लिया जाएगा।

4 वित्तीय स्थितिः—

महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अंकेक्षण अवधि से सम्बन्धित छात्र निधि लेखों की वित्तीय स्थिति इस प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "क"** पर संलग्न है।

5 निवेशः—

(क) महाविद्यालय द्वारा दिनाँक 31.3.14 तक ₹495610/— का निवेश सावधि जमा योजना में किया गया है।

(ख) महाविद्यालय की वित्तीय स्थिति के अवलोकन पर पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा छात्र निधियों की अध्याधिक राशियाँ काँगड़ा सैन्ट्रल कोपरेटिव बैंक के बचत खातों में रखी गई है जिन पर केवल साधारण दर से ही ब्याज की अर्जित किया जा रहा है। अभिलेखानुसार दिनाँक 31.3.2014 को लगभग ₹22 लाख बचत खातो में जमा पड़ी थी तथा मात्र ₹4.95 लाख ही सावधि जमा योजना में निवेशित की गई थी। यदि बचत खातों में पड़ी राशि का एक समुचित भाग सावधि जमा योजना में निवेश किया गया होता तो उस पर उच्च्य दर से ब्याज अर्जित हो सकता था तथा महाविद्यालय को अतिरिक्त आय प्राप्त हो सकती थी जिसे छात्रों को अतिरिक्त सुविधाऐं प्रदान करने पर व्यय किया जा सकता है। अतः परामर्श दिया जाता है कि संस्था स्त्तर पर आन्तरिक जाँच करके एवं छात्र निधियों के प्रत्येक वर्ष में होने वाले व्यय

का अनुमान लगाते हुए तथा कुशल वित्तीय प्रबन्धन दर्शाते हुए अतिरिक्त राशियों को सावधी जमा योजना में निवेश कर दिया जाए ताकि ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय अर्जित की जा सके।

6 **छात्रों से फीस तथा शुल्क के रूप में वसूली गई राशि से सम्बन्धित अनियमितताएंः–**

(क) श्री अनिरूद्ध कक्षा बी0ए0–II रोल नं0 641 से रसीद संख्या 469 दिनाँक 20.6.11 द्वारा कुल ₹1032/– की वसूली की गई जिसमें शिक्षा शुल्क की ₹300/– की वसूली भी की गई थी। जाँच में पाया गया कि शिक्षा शुल्क उक्त ₹300/– को लेखाबद्ध नहीं किया गया जिसके कारण स्पष्ट किए जाएं तथा अब इस राशि को वसूल करके व राजकीय कोष में जमा करवाकर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(ख) माह दिसम्बर 2009 में छात्रों से अवधि 7/09 से 11/09 की अनुपस्थिति शुल्क की, कुल ₹14099/– की वसूली की गई। अभिलेख की जाँच में पाया गया महाविद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा सत्यापित अनुपस्थिति शुल्क की विवरणिकाओं के अनुसार छात्रों से अनुपस्थिति शुल्क की ₹14453/– वसूली हेतु शेष दर्शाई गई। अतः कम वसूल की गई ₹354/–की उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(ग) अभिलेख की जाँच में पाया गया कि दिनाँक 13.8.2007 को तथा उसके बाद कक्षा B.A. II में प्रवेश लेने वाले छात्रों को ₹20/– विलम्ब शुल्क के साथ प्रवेश दिया गया परन्तु निम्न वर्णित छात्रों से विलम्ब शुल्क नहीं वसूला गया जिसके कारण स्पष्ट किए जाए तथा अपेक्षित राशि को उचित स्त्रोत से वसूल कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

क्र0सं0	रसीद सं0 व दिनाँक	नाम	कक्षा	रोल नं0	विलम्ब शुल्क राशि
1	286 दिनाँक 13.8.07	रेखा	बी0ए0–II	679	20
2	295 दिनाँक 13.8.07	मित्तल शर्मा	बी0ए0–II	680	20
3	296 दिनाँक 13.8.07	मिनाक्षी शर्मा	बी0ए0–II	681	20
4	297 दिनाँक 13.8.07	लच्छों देवी	बी0ए0–II	682	20
				योग	**₹80**

(घ) अभिलेख की जाँच में यह भी पाया गया कि निम्नविवरणानुसार छात्रों से पूर्ण शुल्कों की वसूली न करके केवल विश्वविद्यालय से सम्बन्धित एवं पुस्तकालय प्रतिभूति शुल्क वसूली की गई है, जिसका कारण इन छात्रों का अन्य महाविद्यालयों से स्थानान्तरण होना दर्शाया गया है परन्तु इसके समर्थन में कोई अभिलेख अंकेक्षण में जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाए गए जिसे आगामी अंकेक्षण में दर्शाया जाए।

क्र0सं0	रसीद सं0 व दिनाँक	छात्र का नाम	कक्षा	रोल नं0	वसूल की गई राशि	
1	363 दिनाँक 27.8.07	कु0 रंजना देवी	बी0ए0 2nd	701	University Fees	10
					Youth walfare Fee	15
					Holiday Home Fee	1
					Sports Fee	15
					Library Scouts	100
					Total	**141**
2	364, दिनाँक 27.8.07	अनिका	B.A. 2nd	702	-do-	
3	366 दिनाँक 27.8.07	ममता कुमारी	B.A. 1st	629	Registration Fee	35
					Youth welfare Fee	15
					Sports Fee	15
					Holiday Home	1
					Library Scouts	100
					Total	**166**
4	389 दिनाँक 6.9.07	अविनाश	B.A. 1st	443	Registration Fees	35
					Sports Fee	15
					Youth welfare Fee	15
					Holiday Home Fee	1
					Library Security	100
					Buidling Fund	60
					Amlgamated Fund	120
					Total	**346**

(ङ) अनुपस्थिति शुल्क से सम्बन्धित नस्ति की जाँच करने पर पाया गया कि वर्ष 2009–10 में माह दिसम्बर 2009 के हाऊस एग्जाम से सम्बन्धित अनुपस्थिति शुल्क के रूप में छात्रों से

निम्नविवरणानुसार ₹1000/—की वसूली करनी अपेक्षित थी। इस तालिका को विद्यालय के अधीक्षक द्वारा सत्यापित किया गया है परन्तु इस राशि में से कोई भी राशि छात्रों से वसूली नहीं गई है जिसके कारण स्पष्ट किए जाएें तथा इस राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके इसे सम्बन्धित निधि में जमा करवाकर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

B.A. I			**B.A. II**			**B.A.III**		
Sr. No.	**Roll No.**	**Amt.**	**Sr. No.**	**Roll No.**	**Amt.**	**Sr. No.**	**Roll No.**	**Amt.**
1	319	40	1	610	10	1	832	30
2	355	10	2	627	10	2	836	10
3	374	10	3	628	10	3	842	10
4	377	10	4	640	10	4	843	10
5	394	40	5	702	20	5	844	20
6	402	10	6	703	20	6	845	30
7	411	10	7	710	10	7	903	30
8	439	10	8	715	10	8	912	10
9	440	40	9	722	40	9	913	10
10	441	10	10	723	10	10	904	10
11	444	40	11	725	30			
			12	729	40			
			13	730	40			
		230			**260**			**170**
B.Com-I			**B.Com-II**			**B.Com-III**		
1	1052	10	1	1104	20	1	1208	60
2	1053	10	2	1105	20	2	1216	60
			3	1115	10			
			4	1160	10			
			5	1164	10			
			6	1165	10			
			7	1168	10			
			8	1170	10			
			9	1171	30			
			10	1177	10			
			11	1184	60			
		20			**200**			**120**

7 निर्धारित दरों से अधिक दरो पर अथवा अनाधिकृत रूप से शुल्क की वसूली करनाः—

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि महाविद्यालय प्रशासन द्वारा छात्रों से विभिन्न शुल्क वसूली करते समय या तो सरकार द्वारा निर्धारित दरों से अधिक दरों से अधिक शुल्क की वसूली की गई है अथवा अनाधिकृत रूप से शुल्कों की भी वसूली की गई है। उदाहरण के रूप में वर्ष 2007—08 में प्रति छात्र से कैरमस डिवलेपमैनट फण्ड की निर्धारित ₹10/— के स्थान पर ₹13, स्टूडैन्ट एक्टिविटी फण्ड की निर्धारित दर ₹2/— के स्थान पर ₹10 की दर से वसूली की गई है तथा उक्त वर्ष में एस0सी0ए0 फण्ड की ₹10 की दर से तथा वर्ष 2008 में ब्यूटिफिकेशन ऑफ कैम्पस फण्ड की ₹9 की दर से अनाधिकृत वसूली भी की गई है। अतः प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित दरों से उच्च दर पर अथवा अनाधिकृत रूप से शुल्क वसूली करने के कारण स्पष्ट किए जाए व की गई कार्रवाई को नियमानुसार उचित ठहराया जाए।

8 क्रय किए गए खेलों के सामान को खिलाड़ियों को जारी करने से सम्बन्धित अनियमितताएंः—

महाविद्यालय द्वारा मिश्रित निधि से वाऊचर संख्या 62, 65 व 64, माह 12/2008 के अन्तर्गत खेलों के सामान की खरीद करने पर मै0 गौतम जनरल स्टोर को निम्नविवरणानुसार कुल ₹1650/— का भुगतान किया गया।

वा0सं0	**बिल सं0**	**क्रय किए गए सामान का विवरण**	**राशि**
62	102 दिनाँक 24.11.08	2 बाली बाल (स्पैटरन)	590
63	108 दिनाँक 28.11.08	1 फुल साईज बैट (एस0एस0)	650
64	140 दिनाँक 26.11.08	6 बाल (जिमा) 180	
		1 कीपिंग ग्लबज़ 225	
		1 बिसंल 5	410

इस सामान की स्टॉक प्रविष्टि, स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ 16 के क्रम संख्या 168 से 170 पर करने के उपरान्त इस सामान को यह प्रमाण पत्र देकर स्टॉक से खारिज कर दिया गया कि यह सामान खिलाड़ियों द्वारा प्रयोग कर दिया गया तथा शेष शुन्य दर्शाया गया परन्तु यह सामान खिलाड़ियों को कब—2 जारी किया गया, इसके बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया और न ही खेलों के सामान को स्टॉक से खारिज करने पूर्व कोई कौडल औपचारिकताऐं पूर्ण

नहीं की गई। अतः इस प्रकरण में जाँच उपरान्त उचित कार्रवाई अमल में लाते हुए अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में पूर्ण कौडल औपचारिकताऐं पूर्ण करने के उपरान्त ही सामान को स्टॉक से खारिज किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9 फर्नीचर की मुरम्मत करवाने पर ₹16969/– का व्यय करने से सम्बन्धित अनियमितताऐं:–

महाविद्यालय द्वारा माह 4/2009 में मिश्रित निधि से वाउचर संख्या 80 से 84 के अन्तर्गत फर्नीचर की मुरम्मत पर कुल ₹16969/– व्यय किया गया, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:–

वा0सं0	**आपूर्तिकर्ता का विवरण**	**सामान का विवरण**	**राशि**
80	मै0 पवन चन्द एण्ड सन्स, बिल संख्या 679 दिनाँक 2.4.09	16 नं0 6x4-12MM प्लाई बोर्ड	8832
81	मै0 कृष्णा हार्डवेयर बिल संख्या 489 दिनाँक 8.4.09	6 पैकेट नट बोल्ट 1080 1किलो मेखें 2" 60 1 किलो मेखें 3" 60 1 कुण्डा 10 1 ताला 27	1237
82	मेहर चन्द	बोर्ड की ढुलाई का बिल	100
83	मै0 कृष्णा हार्डवेयर स्टोर, बिल संख्या 859 दिनाँक 14.4.2009	6 पैकेट नट बोल्ट 1080 3 किलो मेखें 180 1 किलो मेखें 60 1 पैकेट मशीनी पेच 90	1410
84	श्री मंगल सिंह मिस्त्री	दिनाँक 12.3.09 से 19.4.09 तक 38½ दिनों के लिए ₹140 प्रतिदिन की दर से मस्ट्रोल के बिल का भुगतान	5390
		योग=	**₹16969**

इन भुगतानों में निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गई जिनका निपटारा करके किये गये भुगतानों को उचित ठहराया जाए।

(क) फर्नीचर की मुरम्मत हेतु बोर्ड की खरीद दिनाँक 2.4.09 को की गई तथा इसे लगाने के लिए नट–बोल्ट इत्यादि दिनाँक 8.4.09 को खरीदे गए जबकि मिस्त्री द्वारा मस्ट्रोल पर दिनाँक 12.3.09 से 2.4.09 के दौरान कार्य किया गया दर्शाया गया है तथा उक्त अवधि के लिए उसे

21X140=₹2940 का भुगतान भी किया गया है। अतः यह स्पष्ट किया जाए कि इस अवधि में उक्त सामान के बिना मिस्त्री द्वारा कार्य किस प्रकार किया गया।

(ख) इस कार्य से पूर्व न तो यह स्पष्ट किया गया कि किस–2 सामान की मुरम्मत करवानी है और न ही कार्य समाप्ति के उपरान्त यह स्पष्ट किया गया कि किस–2 सामान मुरम्मत की गई, जिसके कारण स्पष्ट किए जाएं तथा इस सन्दर्भ में पूर्ण विवरण देते हुए अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए। इसके अतिरिक्त यह भी परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में कार्य कराने से पूर्व, कार्य का पूर्ण विवरण तैयार करके तथा उसका अनुमान तैयार करवाकर ही कार्य निष्पादित करवाया जाए तथा कार्य समाप्ति के उपरान्त उचित जाँच करवाकर उसकी गुणवता इत्यादि का प्रमाण पत्र देकर किये गये भुगतानों को उचित ठहराया जाए।

(ग) यह व्यय मिश्रित निधि पर उचित प्रभार नहीं है। इस प्रकार का व्यय महाविद्यालय के फर्नीचर रिपेयर फण्ड से किया जाना अपेक्षित था। अतः इस व्यय की सम्बन्धित निधि में प्रतिपूर्ति करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

10 स्थाई प्रकृति के सामान की खरीद करने तथा उनको स्थापित करने पर मिश्रित निधि से ₹23595/– का अनियमित भुगतान करना तथा स्थाई प्रकृति के सामान को सम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किए बिना ही अनियमित रूप से खारिज करनाः–

(क) महाविद्यालय द्वारा दिनाँक 22.10.09 को मिश्रित निधि से कार्यालय प्रयोग हेतु मै0 अनु कम्पयूटर एण्ड वैरिफरल से उनके बिल संख्या 18 दिनाँक 30.9.09 के अन्तर्गत एक ईन्कजैट प्रिन्टर (आल इन वन) टाईप 3608 की खरीद करने पर ₹7500/– व इसको स्थापित करने हेतु ₹300/– अर्थात कुल ₹7800 का भुगतान किया गया। यह सामान स्थाई प्रवृति का है। अतः इस सामान की स्थाई वस्तु भण्डार रजिस्टर में प्रविष्टि करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए। इसके अतिरिक्त यह भी वर्णित किया जाता है कि यह व्यय निधि पर उचित प्रभार नहीं है। अतः इस व्यय को नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर इस व्यय को नियमित करवाया जाए या उचित स्त्रोत से इसकी प्रतिपूर्ति करके अपेक्षित राशि वापिस निधि में जमा करवाकर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(ख) महाविद्यालय द्वारा मै0 हिम ग्लोबल कम्पयूटर को वाउचर संख्या 175 माह 6/10 के अन्तर्गत 1 प्रिन्टर (Wep Bounti HQ 1070+DxDMP) की खरीद करने पर ₹15260/– का भुगतान किया गया। इस प्रिन्टर की स्टॉक प्रविष्टि, स्टॉक के पृष्ठ 39 पर क्रम संख्या 334 करके इसे छात्रों द्वारा कम्पयूटर प्रैक्टिकल में प्रयोग किया गया दर्शा कर स्टॉक से खारिज

कर दिया गया जबकि यह एक स्थाई मद है तथा इसे खपत दर्शाकर स्टॉक से खारिज नहीं किया जा सकता। अतः इस सन्दर्भ में भी उचित कार्रवाई अमल में लाते हुए अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए। इसके अतिरिक्त पर वर्णित किया जाता है कि यह व्यय भी निधि पर उचित प्रभार नहीं है। अतः व्यय को भी सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए अथवा उचित स्त्रोत से इसकी प्रतिपूर्ति करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(ग) उपरोक्त के अतिरिक्त महाविद्यालय वाउचर संख्या 141 दिनाँक 29.12.09 के अन्तर्गत मै0 अनु कम्पयूटर से उनके बिल संख्या 11 दिनाँक 27.11.09 के अन्तर्गत एक स्पीकर भी ₹535/– में खरीदा गया। इस स्पीकर की प्रविष्टि भी नियमानुसार करके इसे प्रयोग में लाया जाए। इसके अतिरिक्त यह व्यय भी इस निधि पर उचित प्रभार नहीं है। अतः इस व्यय की भी उचित स्त्रोत से प्रतिपूर्ति करके अथवा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से इसे नियमित करवाकर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

11 ज्योग्राफी प्रयोगशाला में प्रयोग हेतु क्रय किए गए समस्त सामान की प्रविष्टियाँ स्टॉक रजिस्टर में न करनाः–

महाविद्यालय द्वारा मै0 भानू विज्ञान केन्द्र से उनके बिल संख्या 5246 दिनाँक 4.11.11 के अन्तर्गत ज्योग्राफी प्रयोगशाला हेतु सामान की खरीद करने पर वाउचर संख्या 306 दिनाँक 5.11.11 के अन्तर्गत पर निम्नविवरणानुसार कुल ₹35606/– का भुगतान किया गया।

क्र0सं0	सामान का विवरण	मात्रा	दर	राशि
1	Prismatic Composs 6" with stand	2 नं0	2750	5500
2	Plane Table Survey Set (IST) Sup. with triped stand	2 नं0	4390	8780
3	Chain and Tape Surveg Set	3 नं0	2200	6600
4	3D Raised Relief Map, Plastic/Model 75x100cm with hard backing, Aluminium Angle Frame	5 नं0	2190	10950
5	Lamination Map	1 नं0	160	160
6	Photos of Gegraphers	4 नं0	480	1920
		योग		**₹33910**
		वैट		**1696**
		कुल देय राशि		**₹35606**

उपरोक्त वर्णित सामान की स्टॉक प्रविष्टि ज्योग्राफी फण्ड के स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ 15 से 28 पर की गई, जिसकी जाँच करने पर पाया गया कि Plane Table Survey Set (ISAT)

with Sub. Traiped Stand (2 नं0), 3D. Raised Relief Map (1 नं0) तथा Photos of Gegraphen (1 नं0) कम स्टॉक प्रविष्टि की गई है अथवा कोई स्टॉक प्रविष्टि नहीं की गई है जिसके कारण स्पष्ट किए जाए तथा इस सन्दर्भ में आन्तरिक जाँच करके उचित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

12 दवाईयाँ तथा ग्लूकोज की खरीद से सम्बन्धित अनियमितताऐं:–

महाविद्यालय द्वारा छात्र सहायता निधि से वाउचर संख्या 60 व 61 दिनाँक 13.12.08 के अन्तर्गत मै0 सुनील मैडिकल स्टोर जैसिंहपुर को उनके बिल संख्या 510 दिनाँक 28.10.08 व बिल 520 दिनाँक 24.11.08 के अन्तर्गत प्राथमिक चिकित्सा हेतु दवाईयाँ व ग्लूकोज इत्यादि की खरीद करने पर कुल ₹797 का भुगतान किया गया। इन क्रय की गई दवाईयों में से कोई भी दवाई चिकित्सक द्वारा अनुमोदित नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त इन दवाईयों की स्टॉक प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ 15 (क्रम संख्या 157 से 167) पर दर्ज करने के उपरान्त, छात्रों को बाँटी गई दर्शा कर इनको खारिज कर दिया गया, परन्तु यह दवाईयाँ कब–2 और किस–2 छात्र को बाँटी गई इसके बारे में कोई विवरण नहीं दिया गया। अतः चिकित्सक के अनुमोदन के बिना दवाईयों की खरीद करने तथा पूर्ण विवरण दिए बिना ही इनको खारिज करने के कारण स्पष्ट किए जाए तथा परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए इनकी खपत दर्शाई जानी सुनिश्चित की जाए।

13 स्टॉक रजिस्टर का नियमानुसार रख–रखाव न करना तथा स्टॉक का भौतिक/प्रत्यक्ष सत्यापन न किया जाना:–

(क) जाँच में पाया गया कि महाविद्यालय में समय–समय पर क्रय की गई सभी स्थाई व अस्थाई वस्तुओ ंका इन्द्राज इकटठा एक ही स्टॉक रजिस्टर में लिया गया है जबकि नियमानुसार स्थाई व अस्थाई वस्तओं का स्टॉक ईन्द्राज अलग–अलग स्टॉक रजिस्टर में किया जाना अपेक्षित होता है। अतः नियमानुसार स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्रविष्टियाँ न करने का कारण स्पष्ट किए जाऐं तथा स्थाई एवं अस्थाई सामान हेतु अलग–अलग रजिस्टर में ईन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाए। उक्त प्रकार की अनियमितताओं से सम्बन्धित कुछ मदों का विवरण निम्नलिखित है।

क्रम सं0	स्टॉक रजिस्टर पृ0सं0 व क्र0सं0	वस्तु का नाम	राशि
1	9/59	1 honour Board	550
2	10/68	1 honour Board	900
3	32/287	H.P. Office Jet Allin Printer	7800

4	38／331	Steel Dark Double Seator 80 no.	116480
4 (A)	39／334	Matrimix Printer	15260
5	41／342	Water Cooler	31150
6	42／346 से 349	2No. Steel Almirah 2No. Centen Table 2 No. Water paper 4 No. Office Table	12868
7	42／350	30 chair	10950
8	53／394	1 Trunk	3500
9	70／456	Sign Board 1 no.	2400
10	70／457	Sign Board 1 no.	2400
11	71／458	Steel Banch with back 8No. @4000=32000 Steel bench without book 8 No. 2500=20000	**52000**

(ख) अभिलेख की जाँच में यह भी पाया गया कि महाविद्यालय प्रशासन द्वारा स्टॉक में पड़े सामान का कभी भी प्रत्यक्ष／भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश वित्त नियम 2009 की धारा 140 तथा 141 के अनुसार प्रत्येक वर्ष स्टॉक में पड़े सामान का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

Section 140:-Physical Verification, "The Office in charge of the stores shall cause to maintain the inventory for fixed assets, consumable goods and dead stock or unserviceable items.

Head of the Deparmtment shall conduct the physical verification of fixed assets, consumable goods and dead stock or unserviceable items or cause ot to be conducted through his subordinate office (s) or through a committee consitiutied by him, at least once in a year."

Section 141:- Procedure for Verfication, "Physical Verification shall always be conduct in the presence of the officer(s) responsible for the custody of the inventory.

A certificate of verification along with the finding shall be recorded in the stock register by the officer(s) or committee conducting the physical verfification."

अतः नियमों की अनुपालना न करना एक गम्भीर चूक है जिसके कारण स्पष्ट किए जाए एवं अविलम्ब नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए, नियमानुसार स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाए एवं किसी प्रकार की अनियमितता की स्थिति में उचित कार्रवाई अमल में लाई जाए तथा की गई कार्रवाई से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

14 **लघु आपत्ति विवरणिकाः—** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

15 **निष्कर्षः—** लेखों के रख रखाव में अत्यन्त सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/—
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन (एल0ए0)एच(2)सी(15)xi (II)—504/14 खण्ड—1—1803—1806, दिनांक, 27.12.14 शिमला—171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

पंजीकृत

1. प्राचार्य, कंवर दुर्गा चन्द राजकीय महाविद्यालय जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को प्रेषित करें।
2. निदेशक, शिक्षा (उच्चत्तर शिक्षा) विभाग हि0प्र0 शिमला—171002
3. उप सचिव (उच्चत्तर शिक्षा) हिमाचल प्रदेश शिमला—171002
4. श्री अशोक कुमार सूद, सहायक नियन्त्रक द्वारा...............................

हस्ता/—
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.